

1124

1

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



S 168797

रामदूत ट्रस्ट

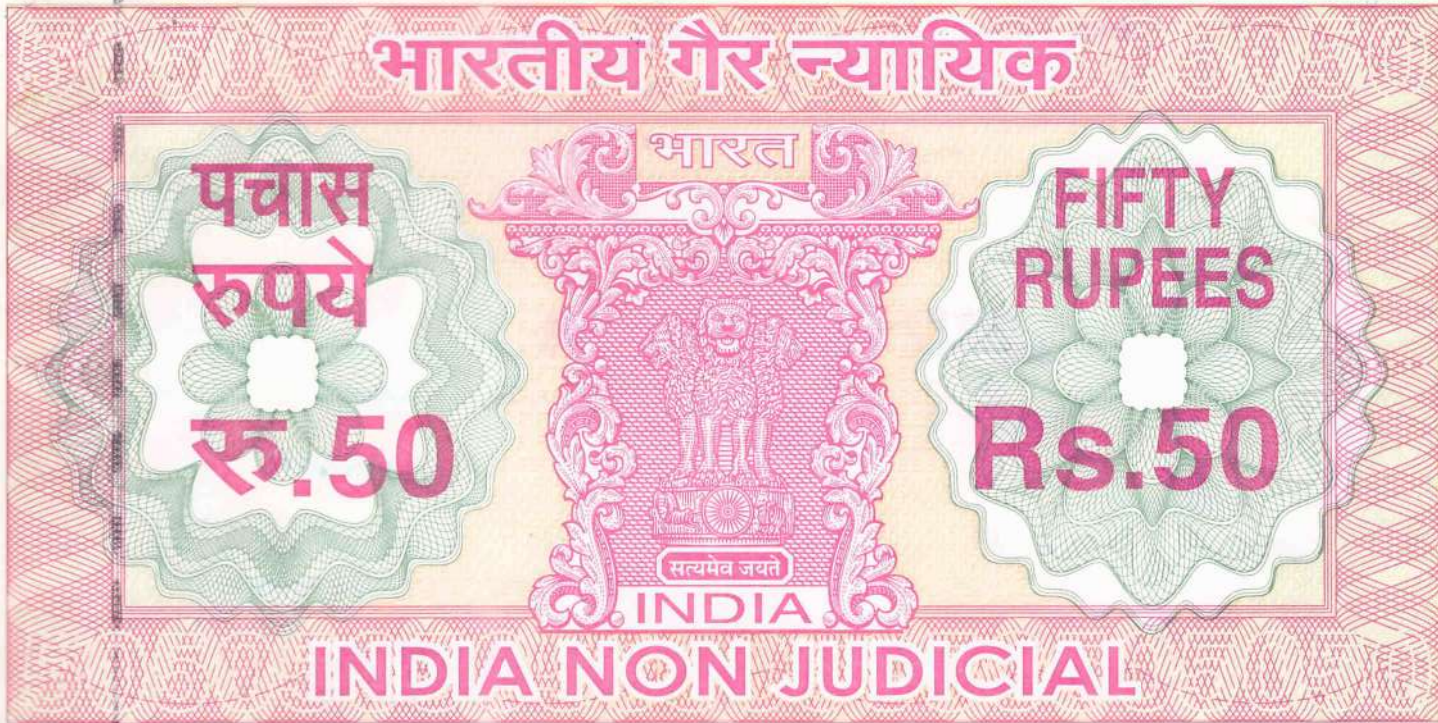
न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 01-02-2010 को गाजीपुर में सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र रामसूरत सिंह यादव साकिन मिश्रौलिया, पोस्ट-रौजा, विकास खण्ड गाजीपुर जिला-गाजीपुर द्वारा घोषित किया गया है।

जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जाएगा क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रू0 11,000 (ग्यारह हजार मात्र) की राशि है। जिसे कि वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्थाहित, जनहित एवं समाजहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा क्षेत्र के साथ-साथ क्षेत्रों जैसे-प्राविधिक, उच्चचिकित्सा, व्यवसायिक आदि क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करेगा जिसको आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी

Surendra





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168798

-2-

कहा जा सकेगा। क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न क्षेत्रों से दान उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 11,000 (ग्यारह हजार रुपये) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय सा0 मिश्रौलिया, पोस्ट-रौजा, विकास खण्ड गाजीपुर, जिला-गाजीपुर उ०प्र० में रहेगा एवं अपनी इच्छानुसार अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारा बद्ध घोषित किया जाता है।

Surendra



2045

01-2-0/6

सूच्य 56 कवचा - वैसे
 2044 क नारा बचा



Under

उपनिर्वाह
 10

23 JAN 2010

यास पत्र

11,000.00

110.00

20

130.00

800

फीस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

शब्द लगभग

न्यास की राशि

श्री

सुरेन्द्र सिंह यादव

पुत्र श्री

रामसूरत सिंह यादव

पेशा व्यापार

निवासी स्थायी

मिश्रवलिया परगना व जिला गाजीपुर

अन्यथा पता

0

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में

दिनांक 1/2/2010

समय 6:06PM

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वजे निबन्धन हेतु पेश किया।

Surendra

एस.के. सिंह

उप निबन्धक सदर

गाजीपुर

1/2/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री सुरेन्द्र सिंह यादव

पुत्र श्री रामसूरत सिंह यादव

पेशा व्यापार

निवासी मिश्रवलिया परगना व जिला गाजीपुर



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री अवधनारायण यादव

पुत्र श्री रामराज यादव

पेशा वकालत

निवासी बच्छलपुर परगना जमानियां गजीपुर

व श्री

कृपाशंकर गुप्ता

पुत्र श्री

मंगल प्रसाद गुप्ता

पेशा

अन्य

निवासी

विशेश्वरगंज शहर गाजीपुर

ने की।

पन्थकतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



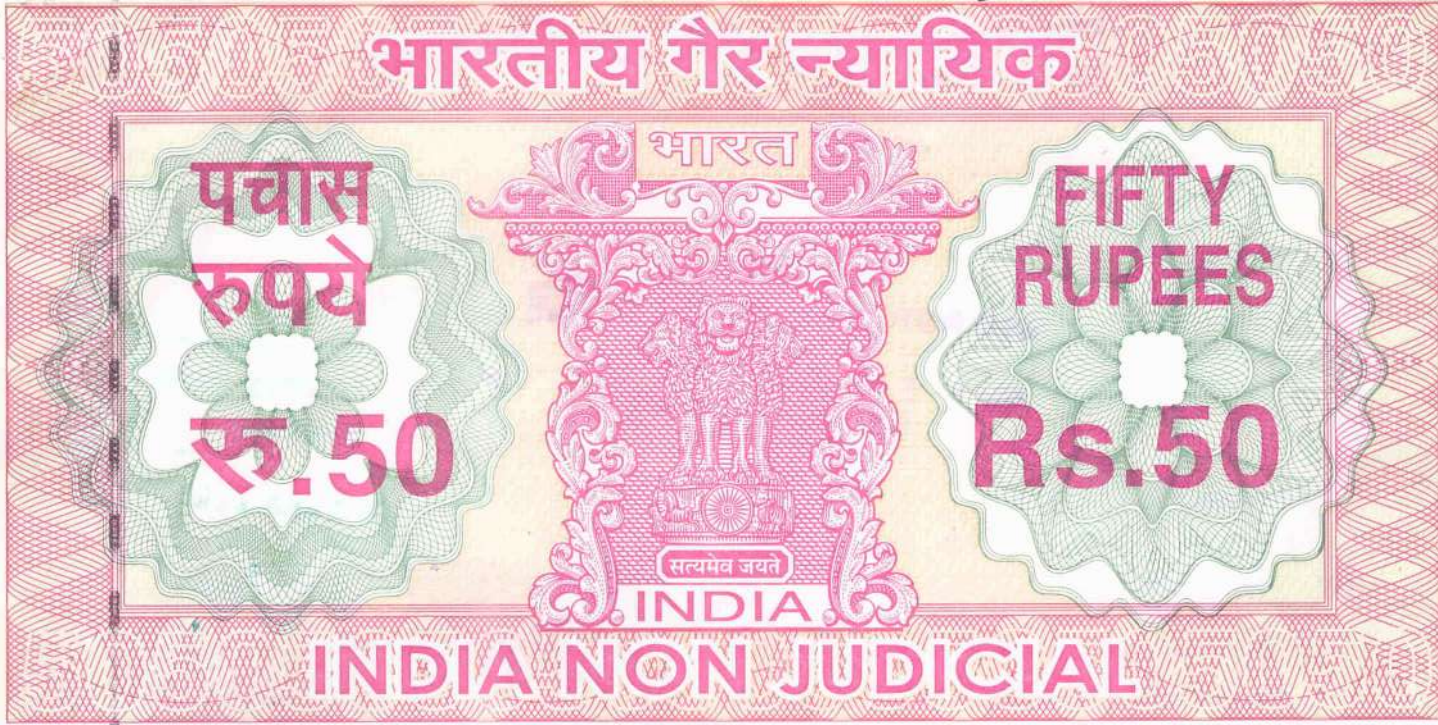
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.के. सिंह

उप निबन्धक सदर

गाजीपुर

1/2/2010



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168799

-3-

रामदूत ट्रस्ट (इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

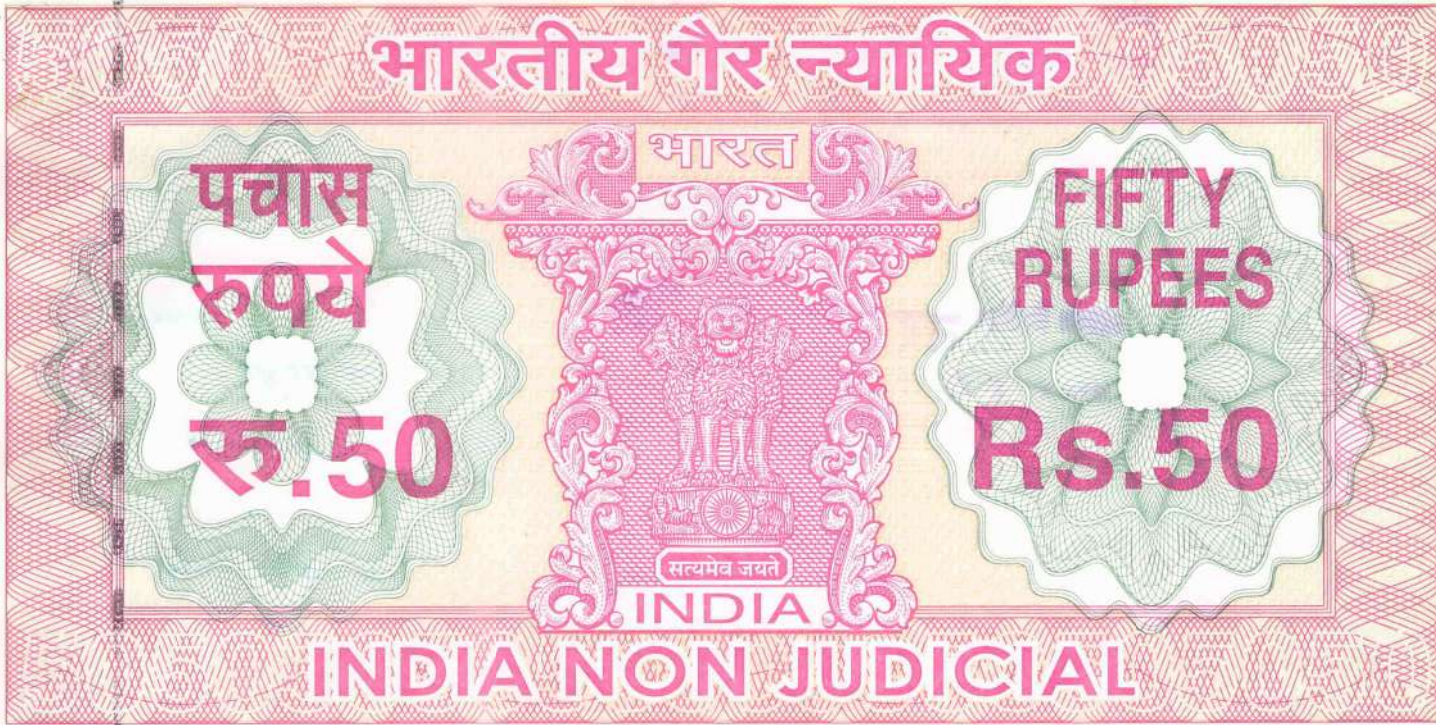
उद्देश्यों एवं नियामवली :-

1. ट्रस्ट के उद्देश्य: ट्रस्ट निम्नलिखित उद्देश्यों कि पूर्ति के लिये कार्य करेगा।
1. बिना लिंग भेद किये हुए सबके लिय प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, बृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों निराश्रितों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास सम्बद्ध आबद्ध प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों प्रतिष्ठानों संस्थाओं, शासन आदि से उन्हें सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत अनुमादित स्वीकृत कराना।
2. ग्राम विकास अभिकरण की गतिविधियों का संचालन करना।

Surendra



4



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168800

-4-

3. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना एवं संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बन्जर भूमि का सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नमी का संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जगलादि का विकास करना।
6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
7. प्रतियोगात्मक परिक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. किसी भी सामान (तरह एवं ठोस) की खरीद एवं बिक्री करना।
10. पत्थर के खनन का कार्य कराकर भूमि का उपजाऊ योग्य बनाना।
11. ट्रस्ट के माध्यम से जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा का कार्य कराकर भारत सरकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना एवं लोगों को बीमा से लाभान्वित करना।

Surendra



2047

01-2-10

संख्या 50
दिनांक 20 44

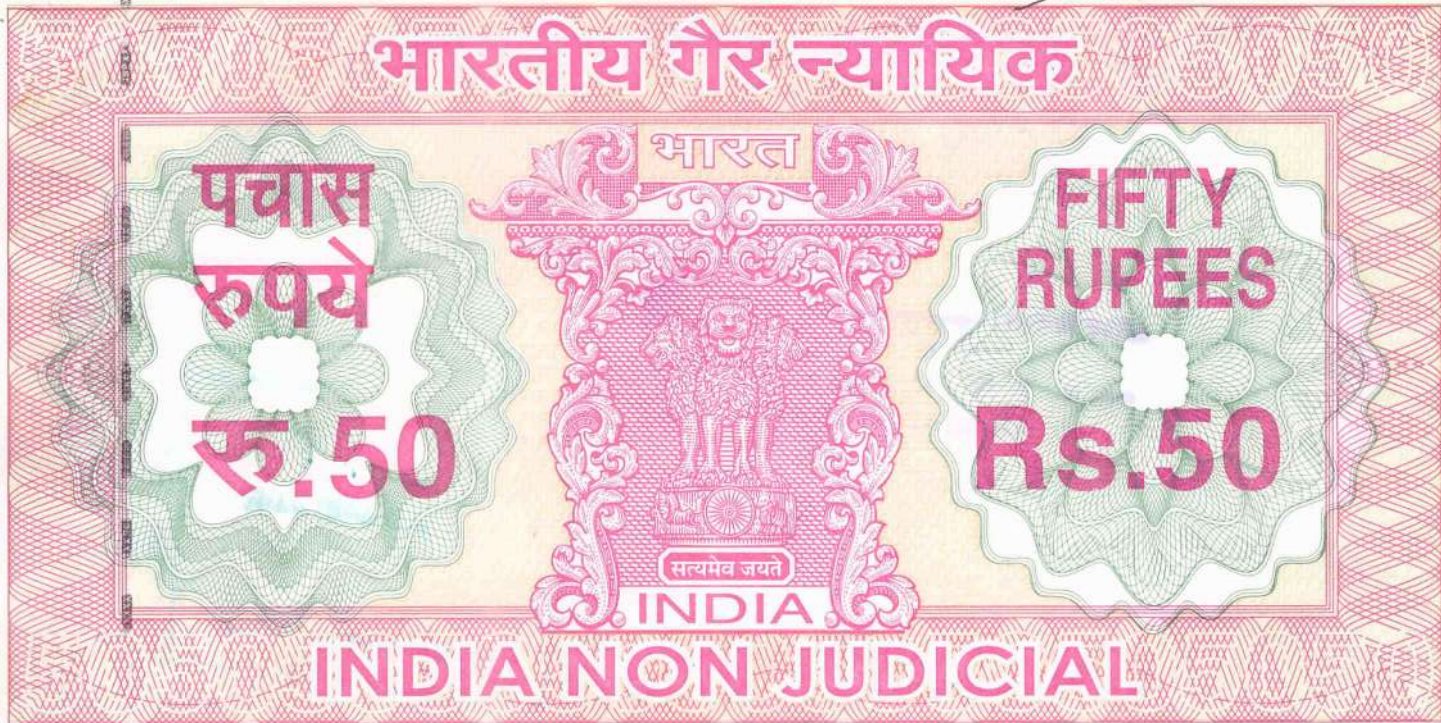
Unsub

उद्योग उद्योग

संख्या 10
दिनांक 20 44



5



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168801

-5-

12. उपहार के वस्तुओं का निर्माण एवं विक्रय कार्य कराना।
13. कबाड़ा की सामानों को इकट्ठा करके फर्निचर भट्टियों का निर्माण करके उनको गलाकर वातावरण को दुषित होने से बचाना पर्यावरण की सुरक्षा करना ट्रस्ट का सर्वोत्तम कार्य होगा जो कि मानव जीवन के लिय बहुत ही उपयोगी कार्य है।
14. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण, सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेल-कूद युवा कल्याण मंत्रालय ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यों का संचालन करना।
15. आई0टी0आई, आई0आई0टी0, पालिटेक्निक, इंजिनियरिंग, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेटर टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन, फिजियो थेरेपी आदि मेडिकल कालेजों की स्थापन एवं संचालन करना।

Sulendra



2048

01-2-10

So

2044

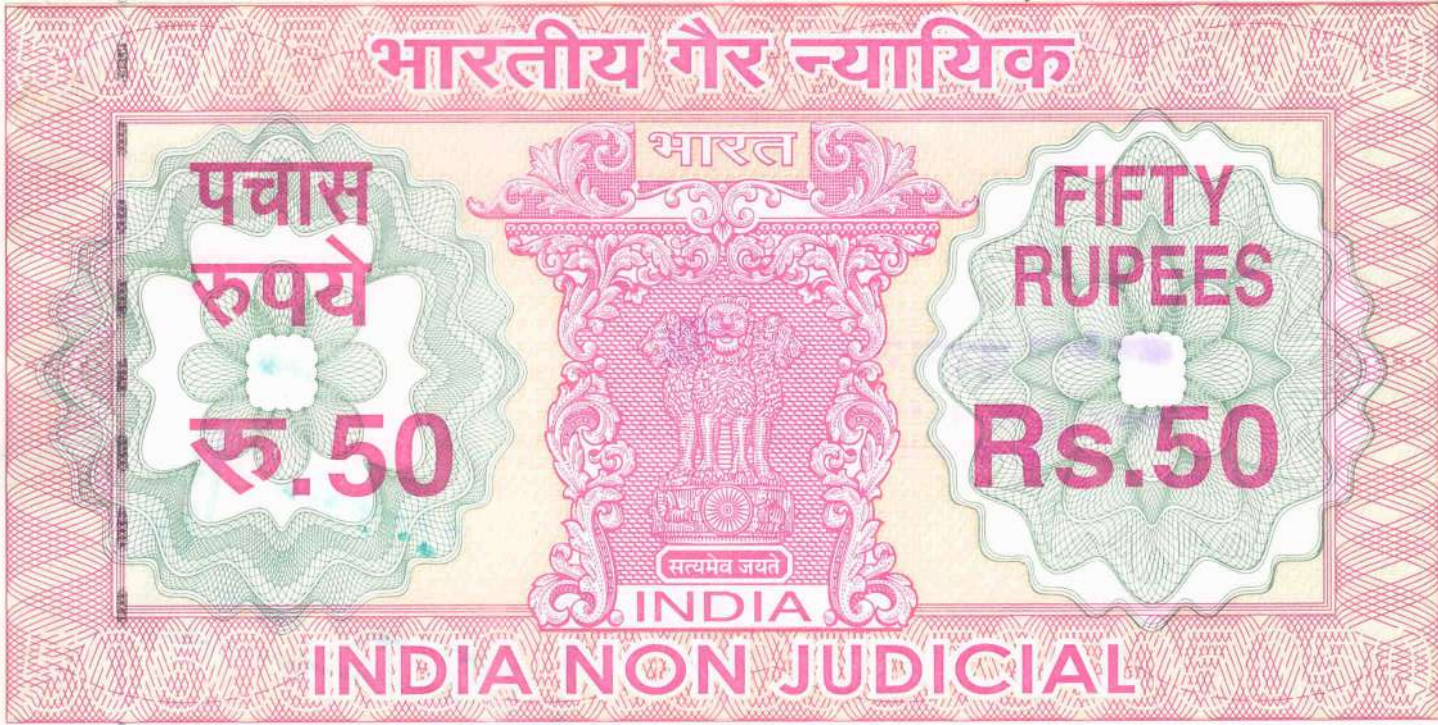
Handwritten signature

उद्योग विभाग उद्योग नारायण सिंह

का. व. ह. वि. शा. बल्लभ सिंह का. व. -/0
विभागीय अधिकारी, बालीपुर



6



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168802

-6-

16. समाज के लोगो के लिए हास्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाइपिंग कम्पनी फर्म आदि की व्यवस्था करना।
17. पुस्तकालय, वाचनालय पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
18. अन्धे गुंगे, बहरे असहाय लोगो के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।
19. विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक क्रीड़ा मार्शल आर्ट संगीत तकनीकी समाजिक आधुनिक भाषा उर्दू अंग्रेजी कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
20. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को सफल बनाकर स्ववलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं का प्रबन्धक करना।

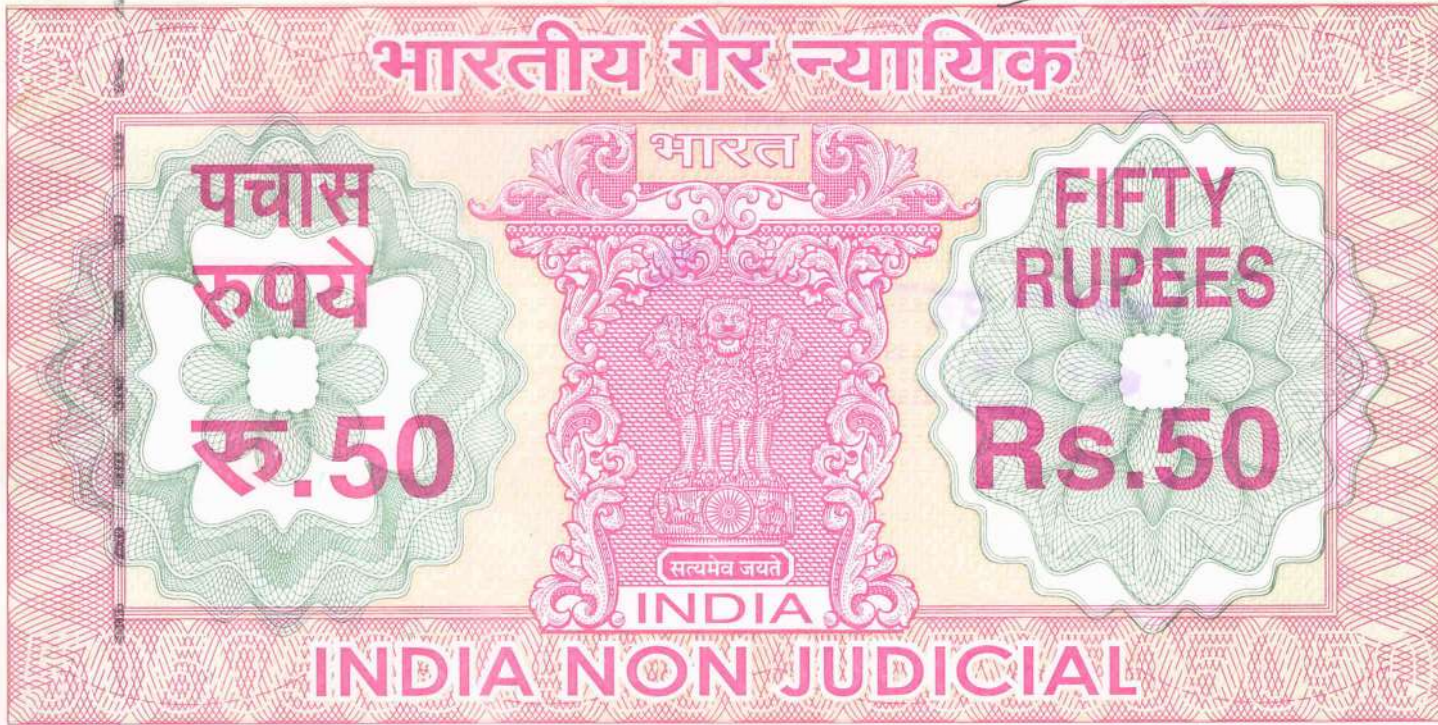
Surendra



पुस्तक संख्या

2044

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥
॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168803

-7-

21. साहित्यिक पुस्तकों, पत्रों पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण कार्य कर सकना।
22. सांस्कृतिक, पर्यावरण एवं एड्स कार्यक्रम व अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगिताएँ, बैठकों विशेष कक्षाएँ सत्र प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम आयोजित कर सकना।
23. भण्डार गृहों का निर्माण कर अनाजों फलों का भण्डारण कराना तथा उनका क्रय विक्रय कराना।
24. शीत गृहों का निर्माण कर किसानों के फल सब्जी, आलू, प्याज की सुरक्षा प्रदान कराना।
25. किसानों का खसरा, खतौनी इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना।
26. बैंकिंग का कार्य कराना, लोगो का पैसा जमा कराकर उनको अच्छा रीटर्न देना, उनके पैसों का सुरक्षा प्रदान करना, समय-समय पर गृह ऋण, कृषि कार्य हेतु ऋण मोटर गाड़ी हेतु ऋण एवं रोजगार करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
27. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।

Surendra



12056

01-2-16

पुल्य 50

2044

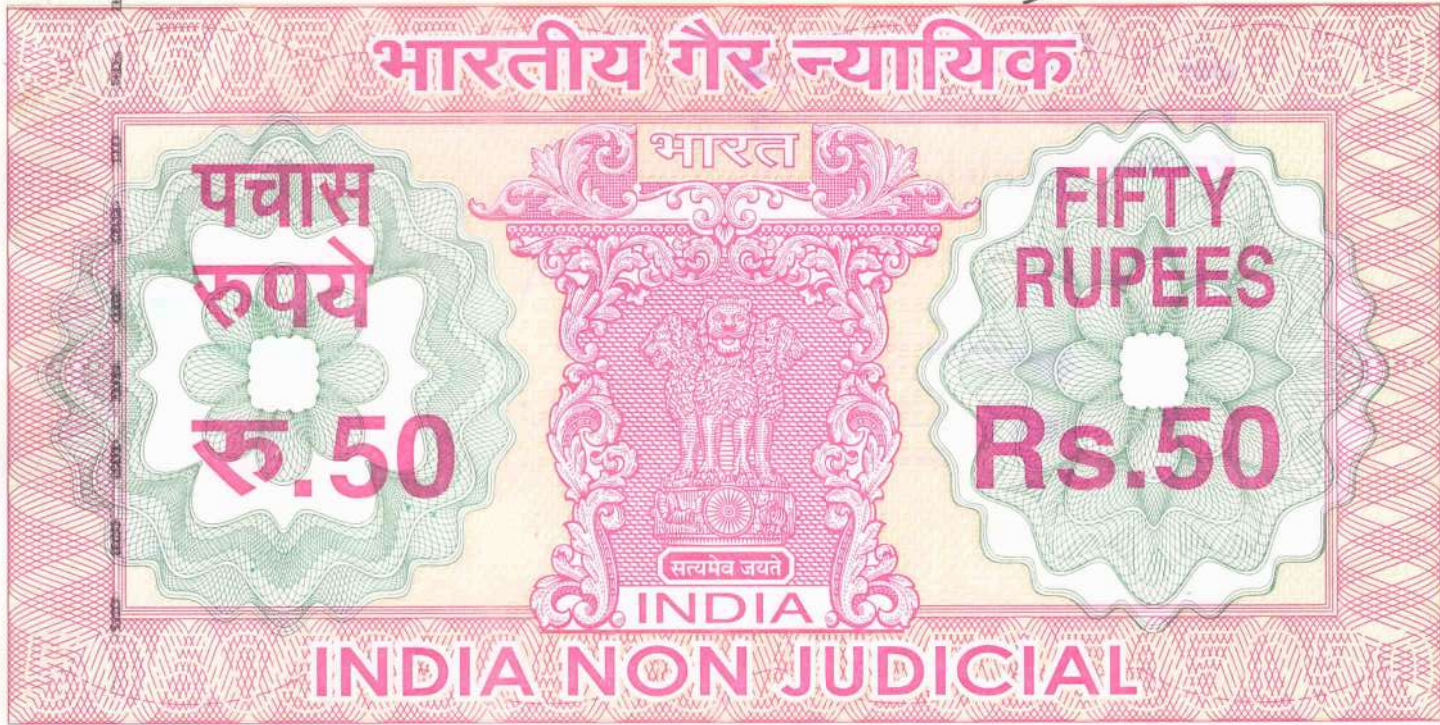
Unbind

उदय नारायण

ह. वि. शा. ब. म. 10
विवाही परिवार, आ. वि. पु.

23.11.2015





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168804

—8—

28. व्यक्ति विशेष, अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों महाविद्यालयों मेडिकल कालेजों, इंजिनियरिंग कालेज आईटीआई कालेजों का अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
29. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं तथा व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
30. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसाद कर सकना।
31. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।
32. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार के लिए जानकारी देना एवं सेमिनार करना।
33. एड्स के बारे में जन जागरण हेतु प्रचार प्रसार करना।
34. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मुल्य निर्धारण कर प्राप्त करना।

Surendra



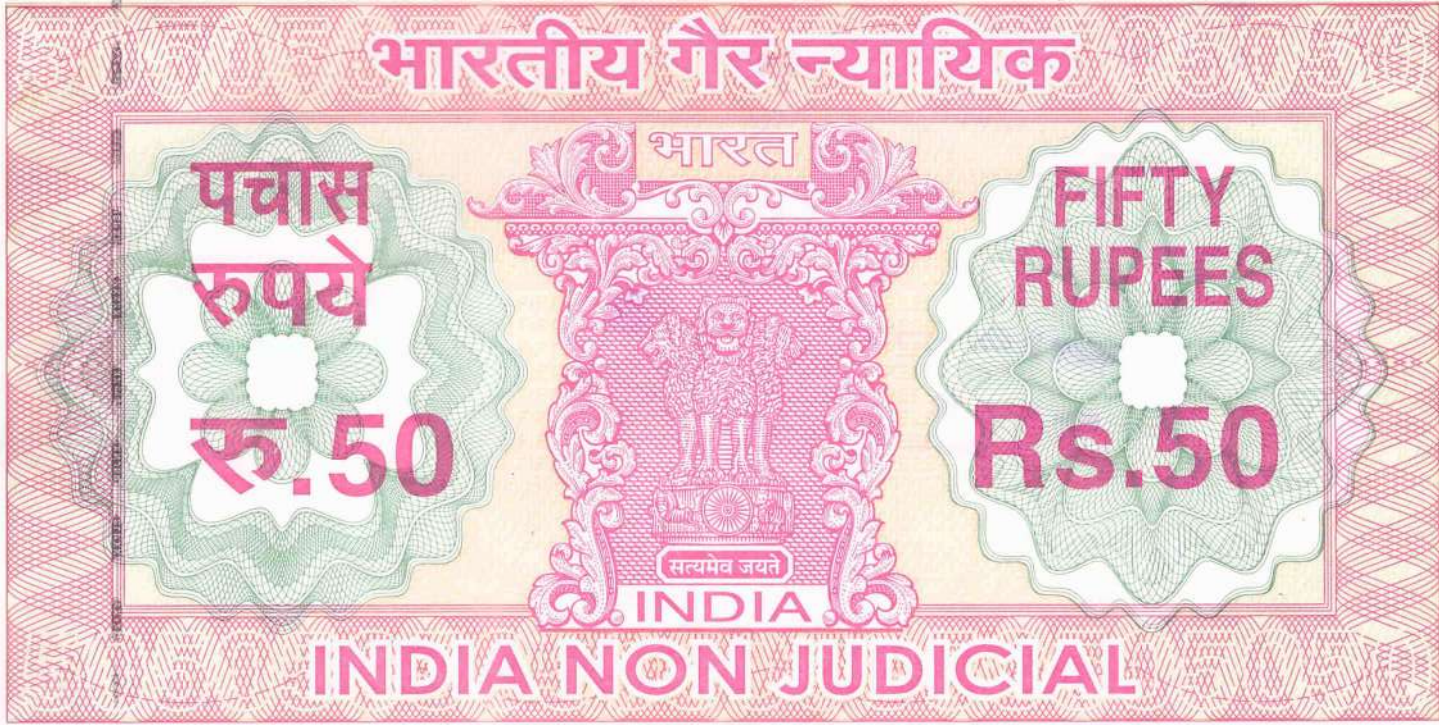
2056 01-2-10
मूल्य 50
विवरण 2044

Handwritten signature

उद्देश्य विभाग
-10

23 JAN 2010





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168805

-9-

35. पत्राचार द्वारा अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधिक आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
36. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उसर सुधान जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
37. डाक्टर, इंजिनियर, कारपेन्टर, इलेक्ट्रिशियन, फीटर, वेल्डर, मजदूर को प्रशिक्षण प्रदान करके उनको विदेश जाने के लिए कार्य करना, जिससे उनको रोजगार मिल सके एवं देश का विकास हो सके।
38. कुटीर लघु उद्योगों के माध्यम से असहाय तथा गरीब लोगों को रोजगार देना जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके।
39. किसानों का उन्नतशील बीजों कीटनाशक दवाओं तथा नये-नये औजारों को सस्ते दरों में उपलब्ध कराना।
40. समय-समय पर किसान गोष्ठी का आयोजन कर उनको जागरूक करना।

Surenra



2052

01-2-16

पुल्य २०

विद्यालय नम्बर 2044

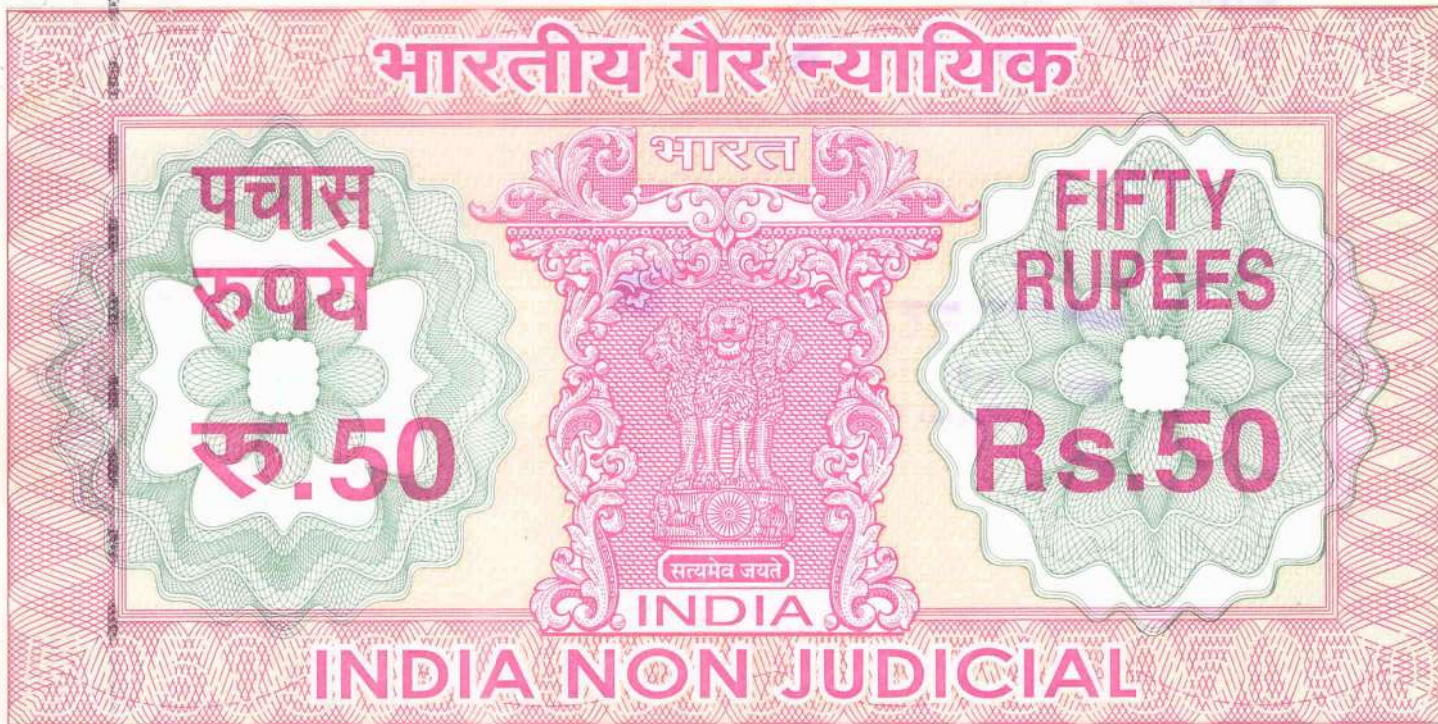
Handwritten signature

उद्योगनामकन
ह. वि. शा. व. व. २०११
विभागीय अधिकारी, गान्धीपुर

-10

23 JAN 2016





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168806

-10-

41. किसानों को रासायनिक खादों (डाई, यूरीया, पोटास, जिंग फास्फेट, कार्बनिक खाद, कम्पोस्ट खाद) इत्यादी को समय समय पर उपलब्ध कराकर उनको लाभान्वित करना।
42. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोद्धार कर सकना।
43. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन कर सकना।
44. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायक, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
45. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उनका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।
46. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी उत्पादित वस्तुएँ लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खडन्जा तालाबों का निर्माण कर मछली पालन, पशु पालन तथा मधुमक्खी पालन आदि का प्रचार-प्रसार करेगा।

Sulendra



01-2-16

मूल्य २०० रुपया

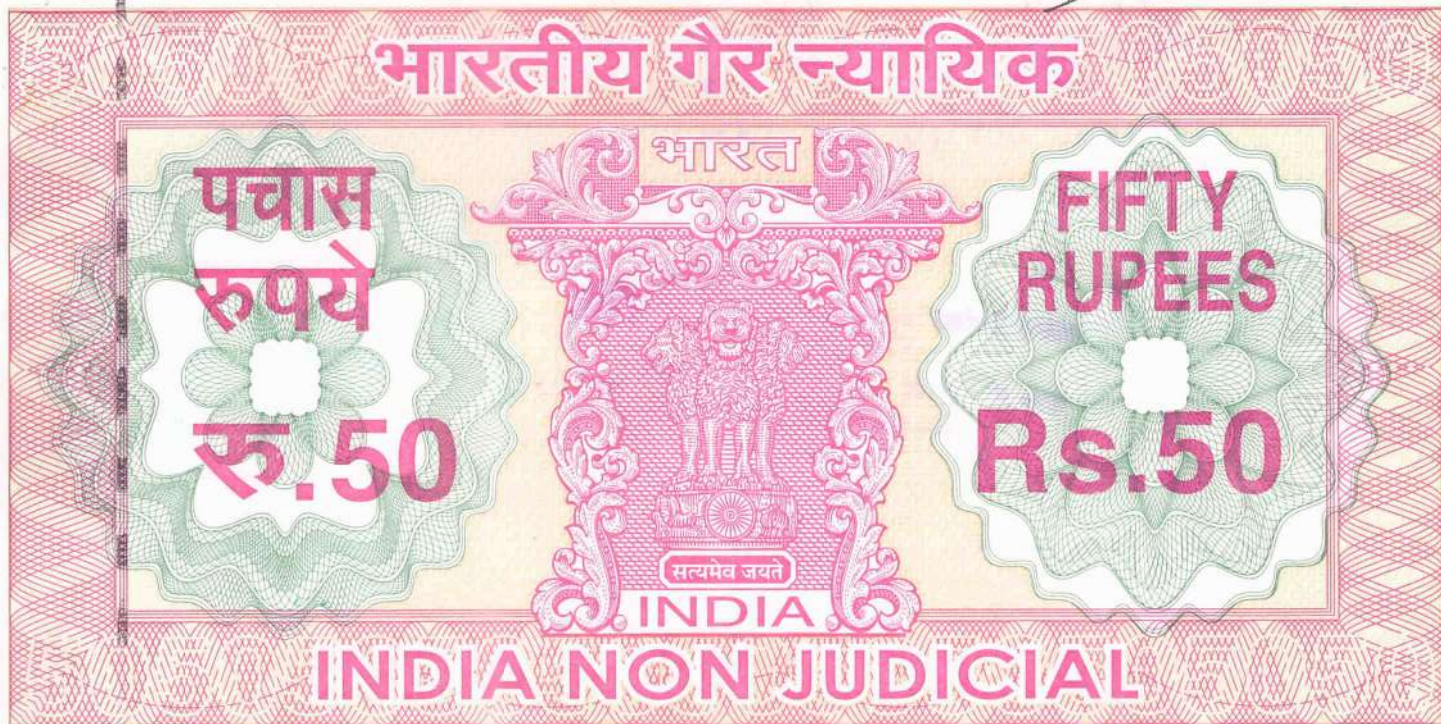
2044

UnSigned

उद्दय नारायण

पुस्तक संख्या : १०

11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168807

-11-

47. ट्रस्ट अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु जन कल्याण एवं राष्ट्रकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वनयन करेगा।
48. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा।
49. सस्ती दरों पर लोगो को सब्जी तथा फल उपलब्ध कराना।
50. लोगो को दोपहिया, चारपहिया एवं हैवि वाहन अपनी एजेंसी के माध्यम से सस्ते दरों पर उपलब्ध कराना जिससे कम लागत पर लोगो को वाहन उपलब्ध हो सकें।

2- प्रारम्भिक उपबन्ध :-

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र राम सूरत सिंह को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह यादव द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो सुरेन्द्र सिंह यादव

Surendra



01-2-16

पुल्य... 56

2044

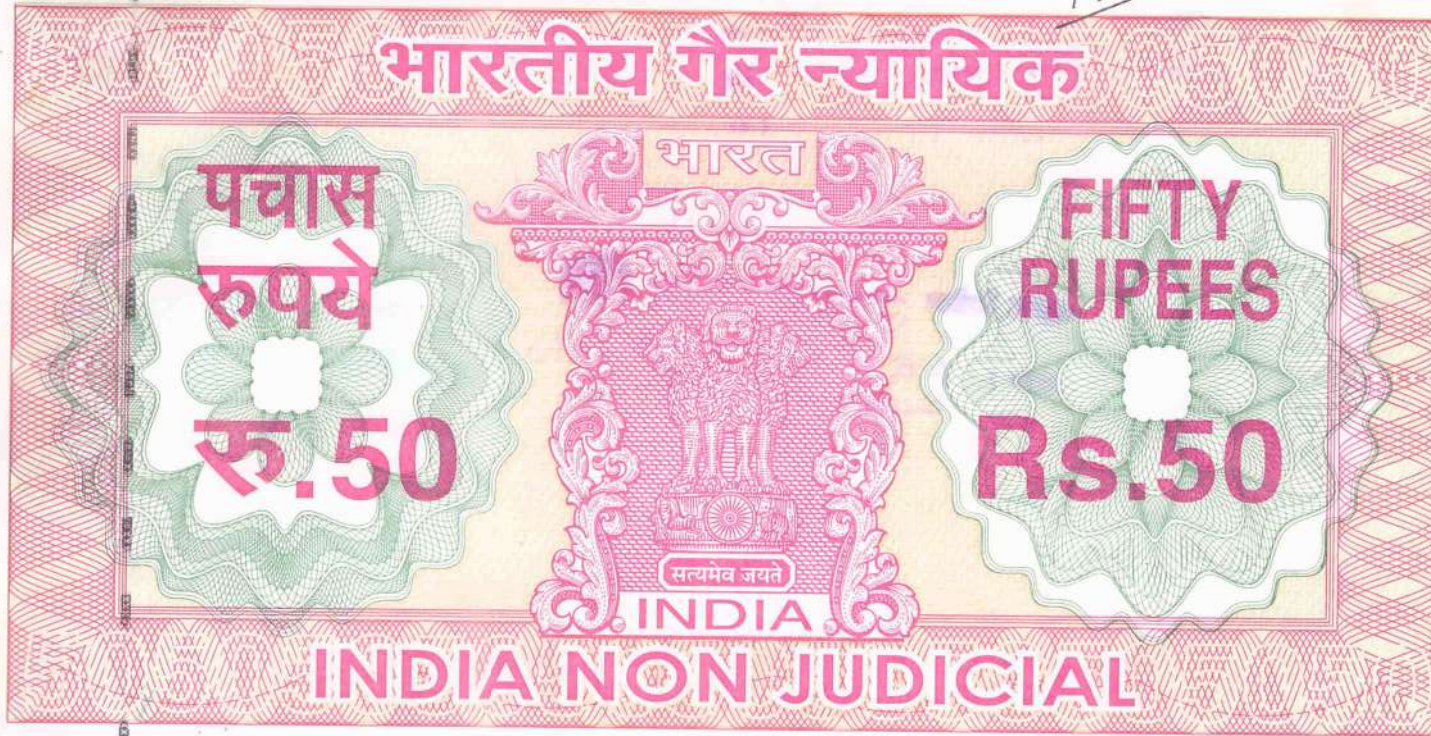
Ward

उद्दयनारायण सिंह

[illegible]

-10

23 JAN 2011



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168808

-12-

पुत्र रामसूरत सिंह यादव के मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी अनिता यादव स्त्री सुरेन्द्र सिंह यादव (सचिव) होंगी।

3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकता है।

3 मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/स्थानान्तरण

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकारी प्राप्त हो जाएंगे जो कि इस ट्रस्टी डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हो।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड कराके अथवा

Surendra

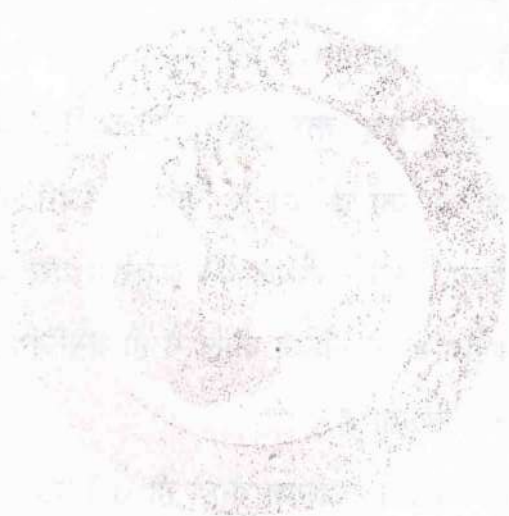


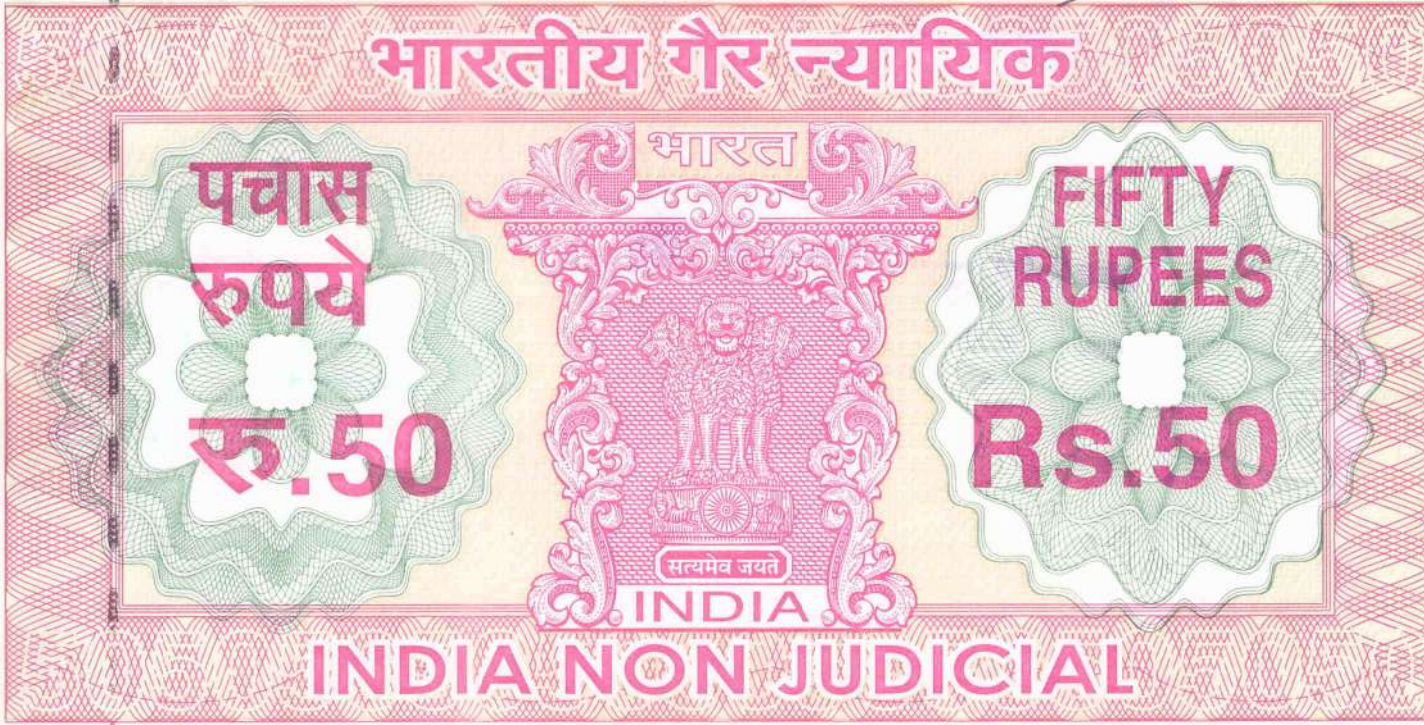
2055 01-2-10
लिखित 50 रूपैया
प्रमाणित 2044 के साथ है

Handwritten signature

उद्योग विकास निधि
हस्ताक्षरित 2044
प्रमाणित 2044 के साथ है

23 11 2010





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168809

—13—

अपनी वसीयत द्वारा भी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में की गयी वसीहत/इच्छा/व्यवस्था की अन्तिम रूप से मान्य होगी।

5. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

4. बोर्ड आफ ट्रस्टीज :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है। जिसमें कि अधिकतम 21 सदस्य होंगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्यअवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

Surendra



2056

01-2-10

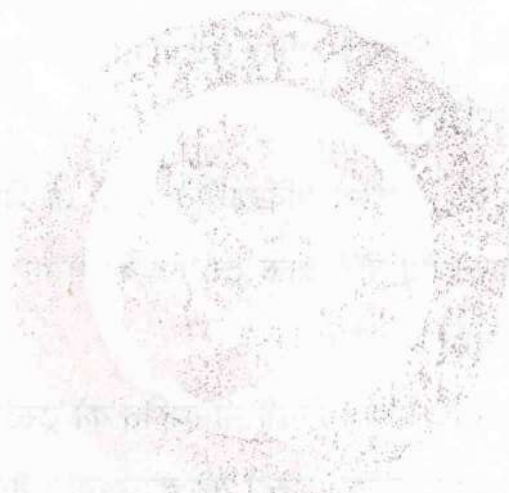
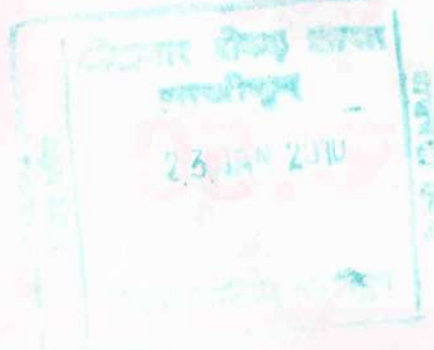
पुस्तक 2044 50 -

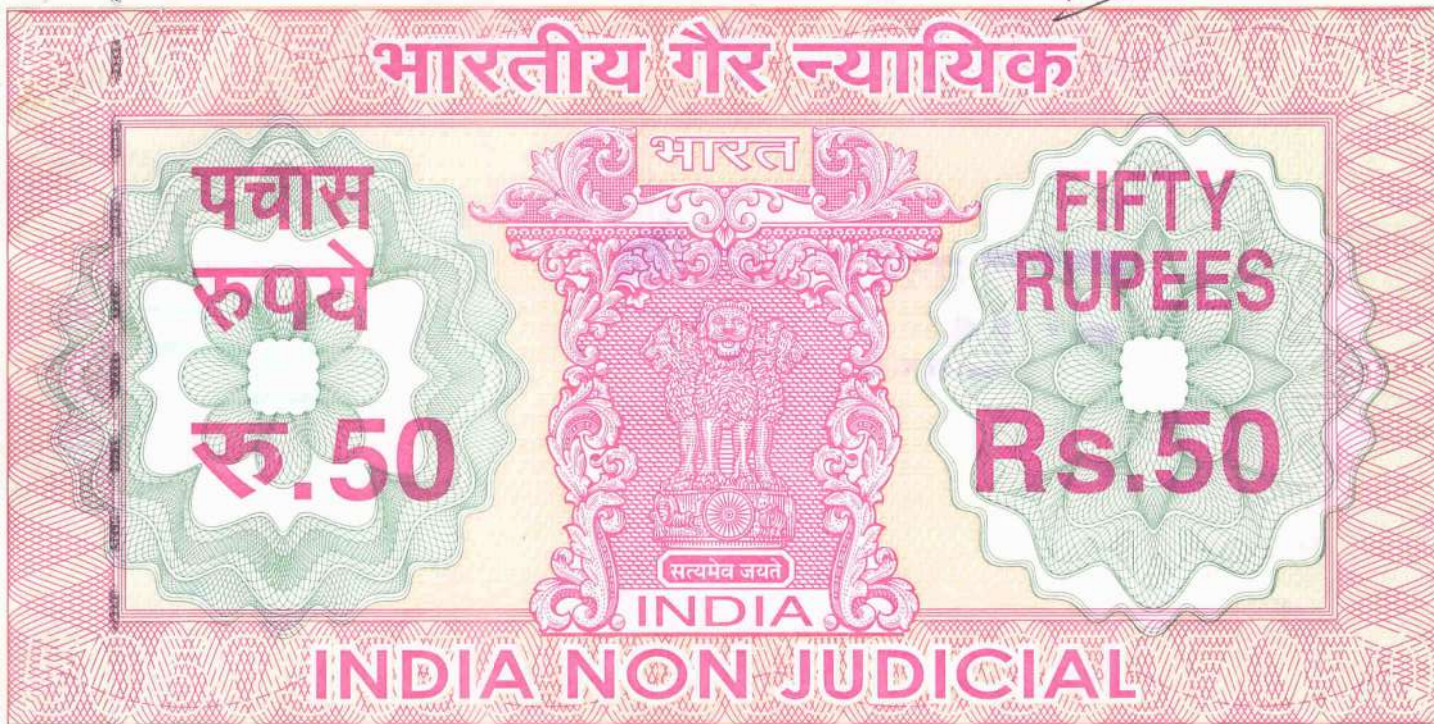
2044

Handwritten signature

उद्योग विभाग उद्योग विभाग

उद्योग विभाग उद्योग विभाग - 10





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168810

—14—

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता ट्रस्टी स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

Surendra



2057

01-2-16

कम्प्यूटर नम्बर 2057

पूज्य 50 रूपया पैसे

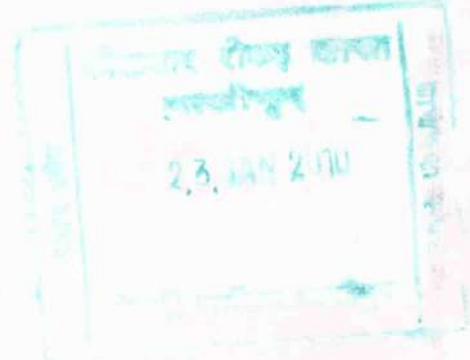
दाम्प नम्बर 2044 क माथ बन्ने

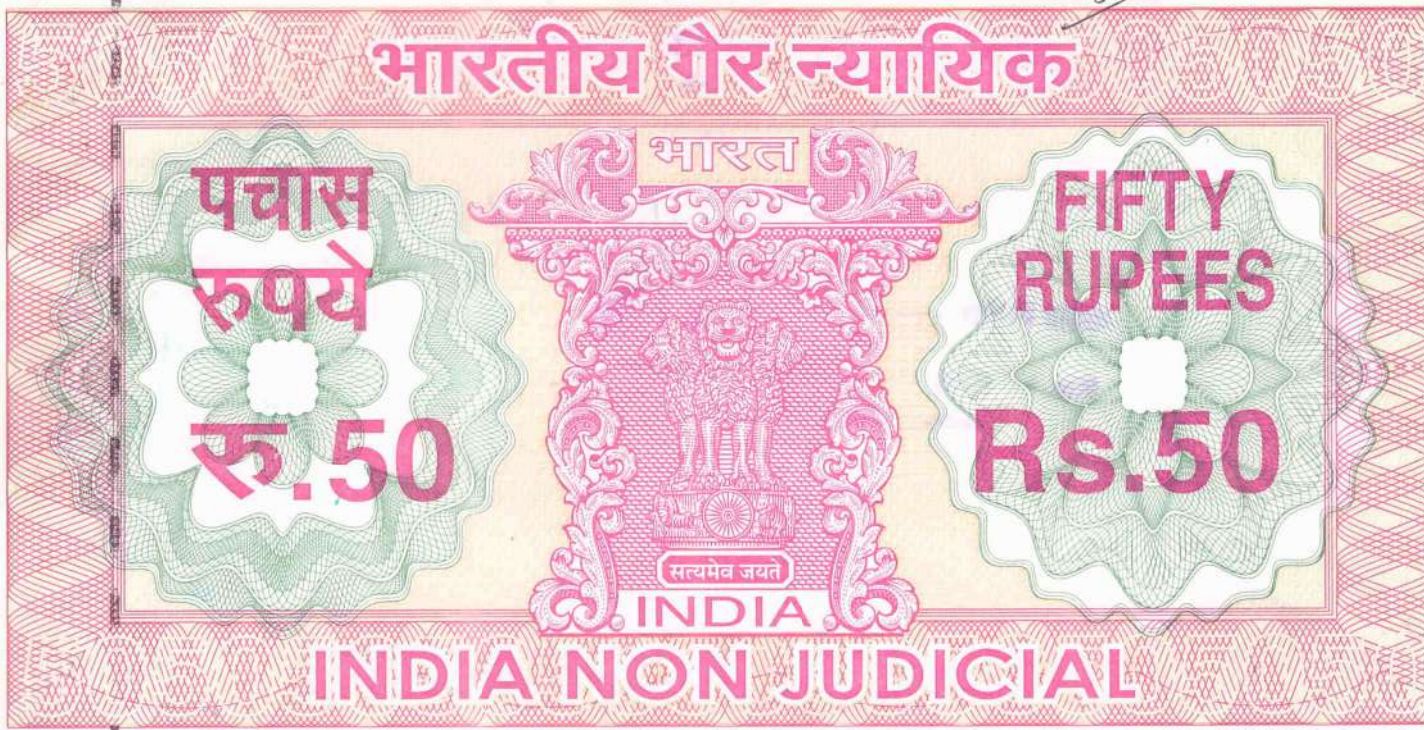
Handwritten signature

उदय नारायण सिंह

डा. ए. ए. नारायण सिंह
विधान सभा, बाँके

—/0





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168811

—15—

5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यकाल एवं सुविधाएँ

1. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट द्वारा आय से ही आयकर कर भुगतान करेगा।

6. कार्यक्षेत्र :-

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा जिसमकं सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं परामर्श प्राप्त कर सकता है अथवा दे सकता है।

Surendra



2058

01-2-10

पूज्य So

2044

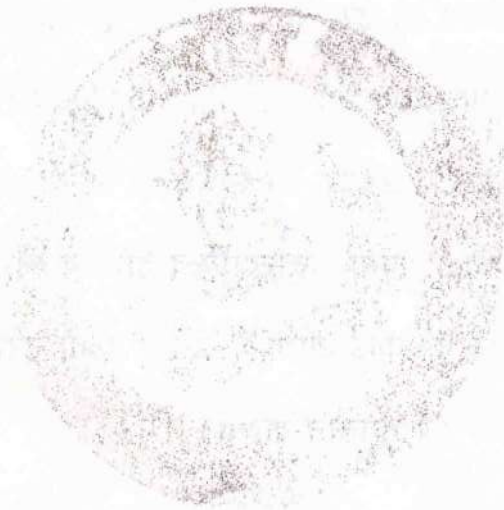
1181-20

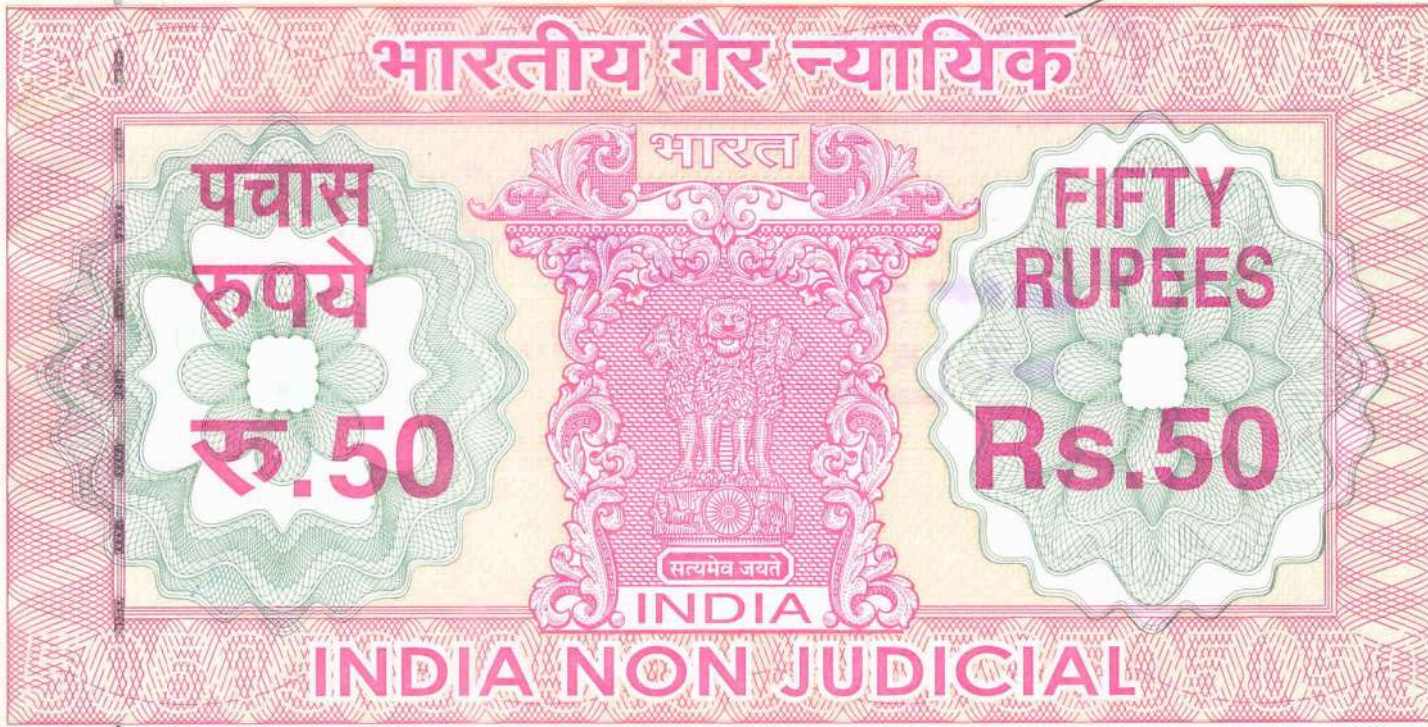
उद्द नारायण

हृदय वरदा देवी का
विद्यापीठ संस्कार आशुपुत्र

-10

23 JAN 2010





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168812

—16—

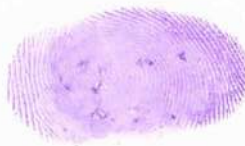
7. मैनेजिंग/ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :-

मैनेजिंग/ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्लकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

8. उपाध्यक्ष की नियुक्ति :-

1. रामसूरत सिंह यादव मैनेजिंग ट्रस्टी उपाध्यक्ष होंगे।
2. यह कि उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, सुविधाएँ कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जाएंगे।

Sulendra



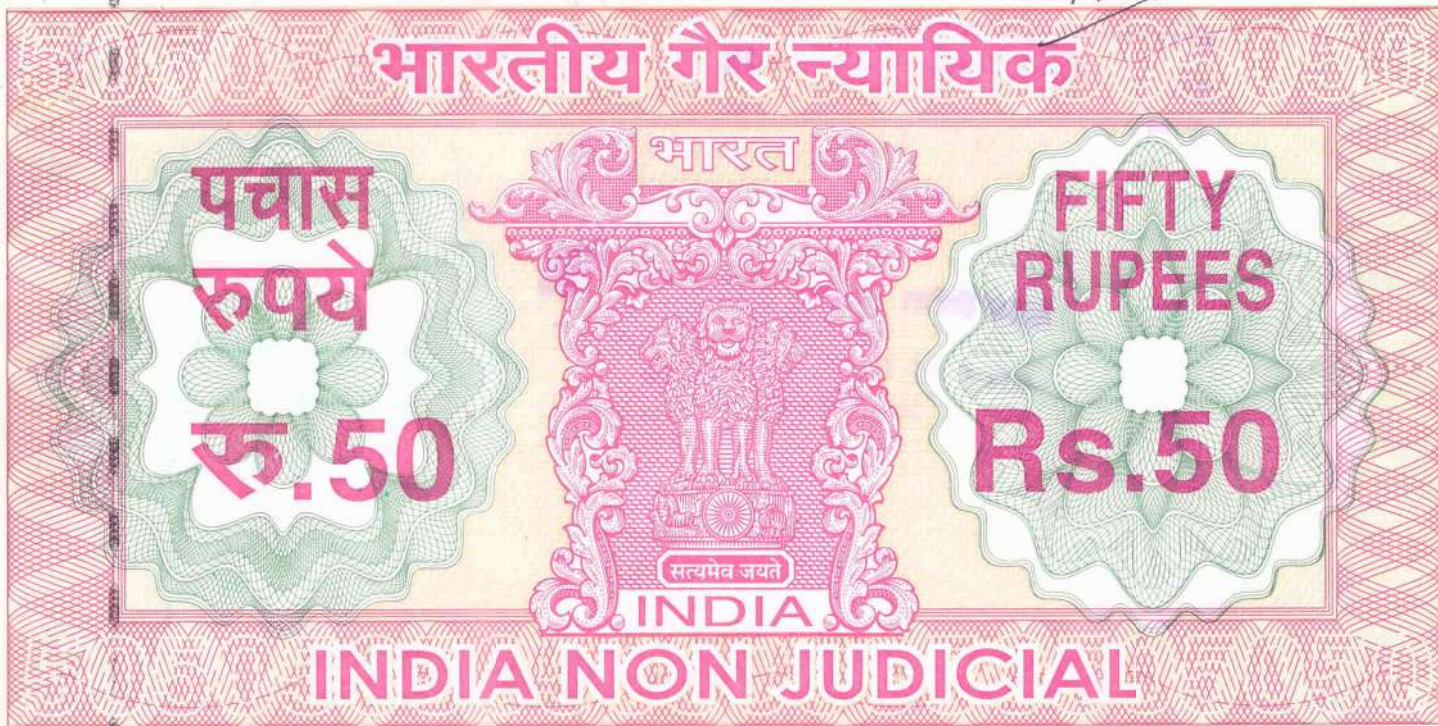
2044

उद्देश नागयन विधि

१०५ : एड्डा का वनस्पति विज्ञान - १/०

Harind

2.3.4.4 25W



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168813

-17-

9. सचिव की नियुक्ति :-

1. अनिता यादव मैनेजिंग ट्रस्टी सचिव होंगे जो प्रतिदिन की कार्यों की देख-रेख करेंगे।
2. यह कि सचिव के वेतन, भत्ते, सुविधाएँ कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जाएंगे।

10. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त ट्रस्टी/अध्यक्ष के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे।

1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2. इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में

Sulendra



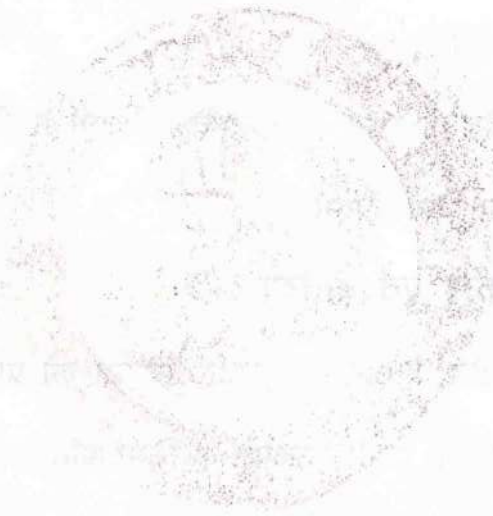
2060 01-2-16
संख्या 50
दिनांक 2044

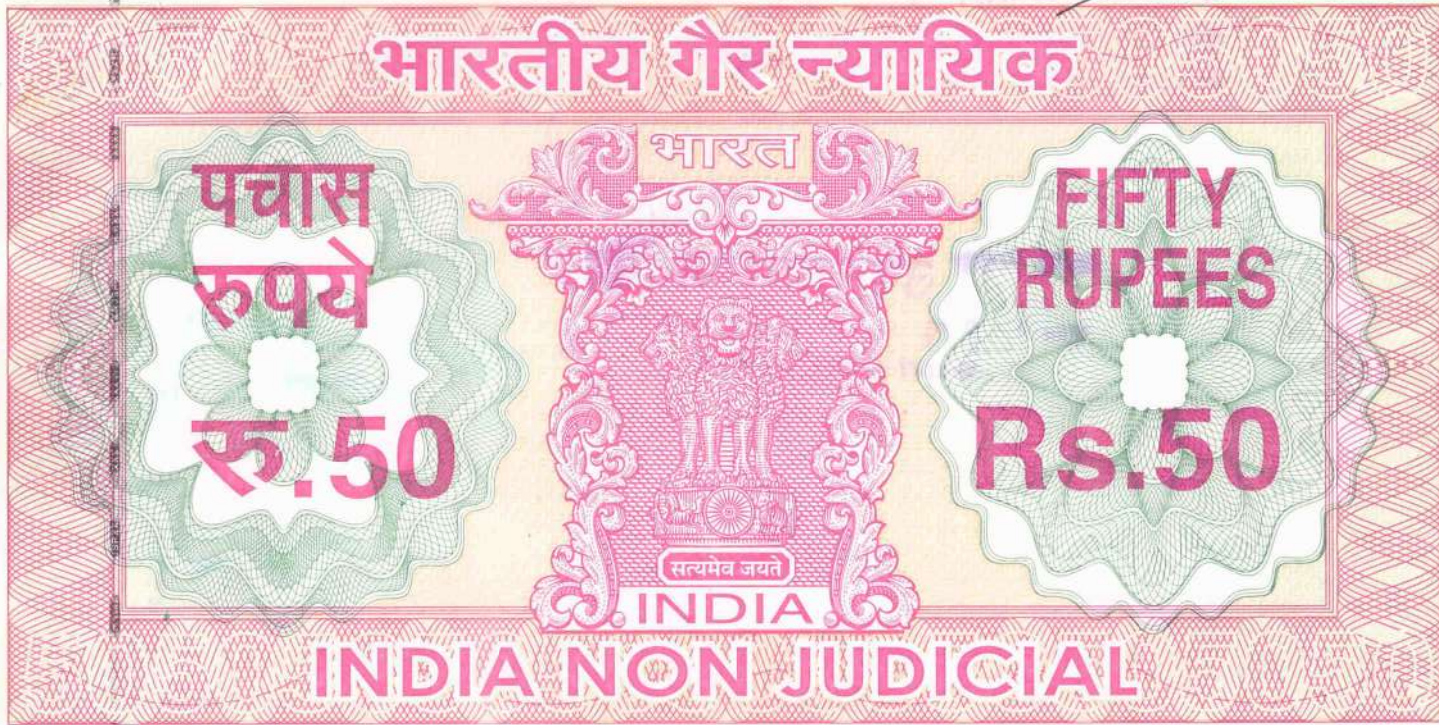
Handwritten signature

उद्योग विभाग
उद्योग विभाग
हस्ताक्षर

10

23 JAN 2016





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168814

-18-

संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

3. मैनेजिंग/ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुपस्थिति में सारे कार्यों की देख-रेख उपाध्यक्ष करेगा। आफिस विस्तार के लिए अध्यक्ष और भी सचिव और उपसचिव नियुक्त कर सकता है।

Surendra



2061

01-2-16

सूच्य 50 सुपुया
दिनांक नम्बर 2044

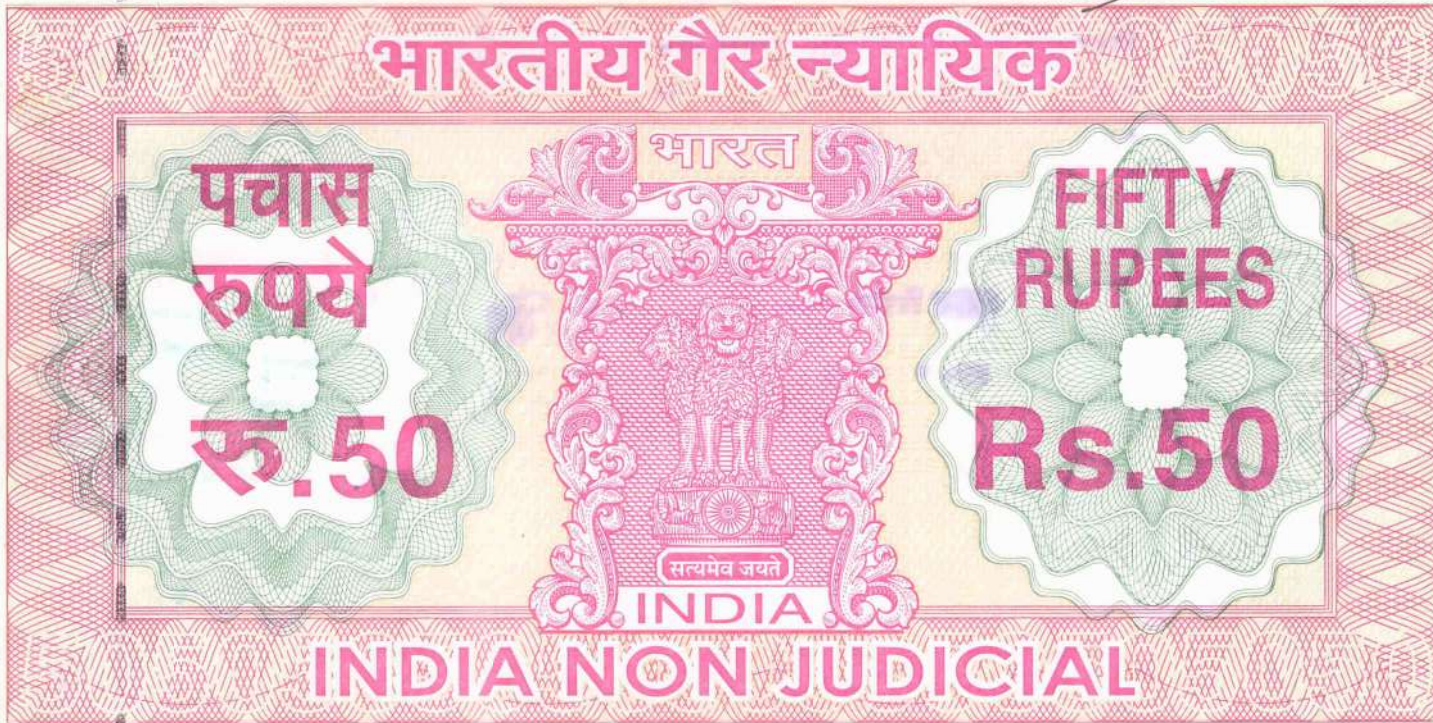
Handwritten signature

उद्यम नारायण सिंह

डा. * E. H. ... 2/6



19



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168815

-19-

11. बैंक एकाउन्ट :-

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है तथा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय, संस्थान केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला या संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं या ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

Surendra



2062

01-2-16

विश्वरूप

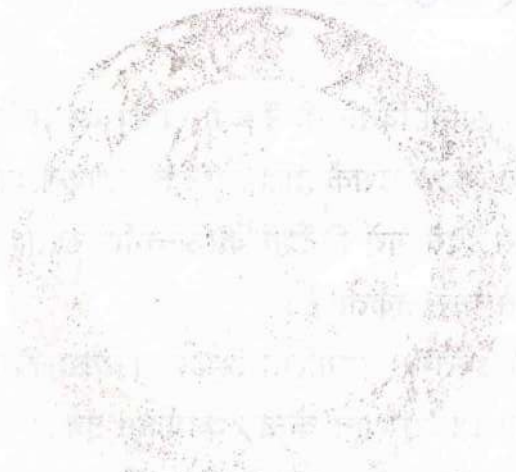
सूचना 50

2044

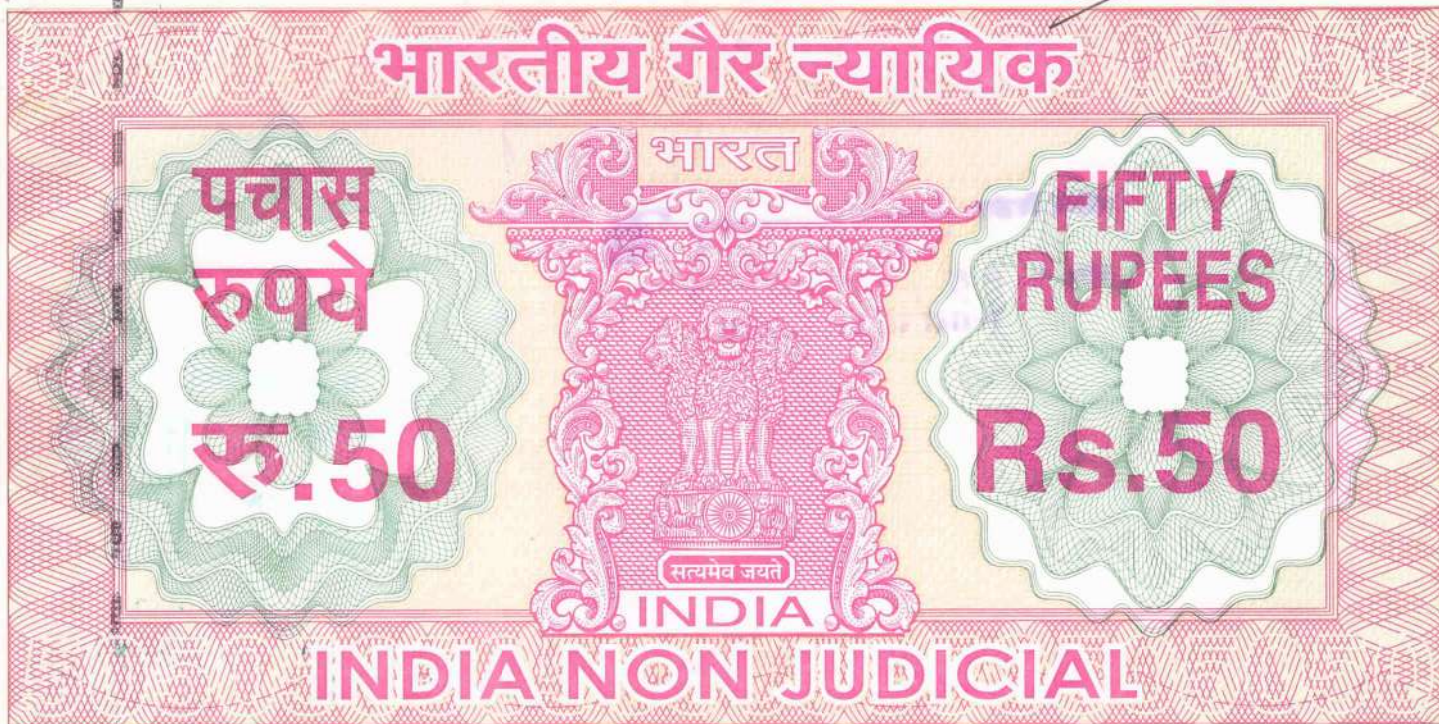
Vandana

उद्योग विभाग उद्योग विभाग

हस्ताक्षर विभाग - 10



भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168816

—20—

12. विधिक कार्यवाही :—

यदि संस्था ट्रस्ट के तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष के अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी अथवा किसी को अधिकृत कर सकता है।

13. सम्पत्ति सम्बन्धि :—

1. ट्रस्ट चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है। जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होता है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

Surendra



2063 01-2-16

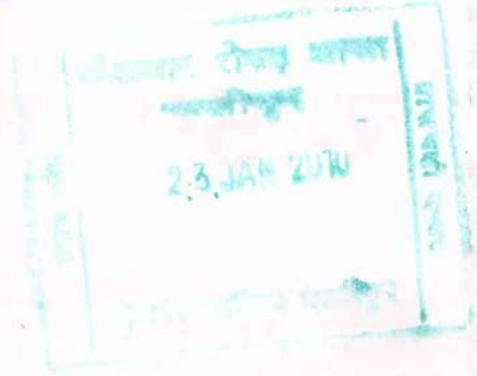
मूल्य 50 राशि

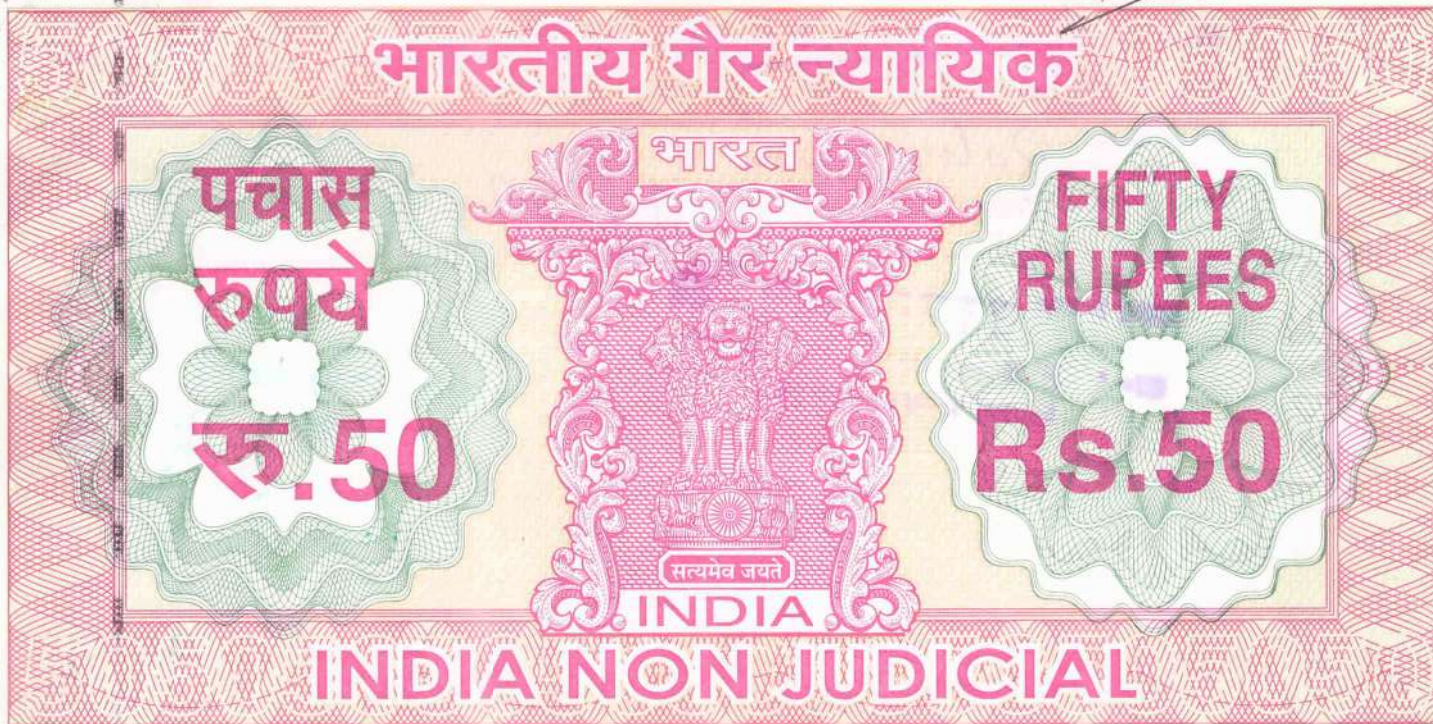
2044

W. L. L.

उद्देश नागवर्ण

६. दि. १०/०५/२०१८ को
मिनाजी परिवार, काठमाडौं





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168817

—21—

3. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, अनुग्रह भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है।
4. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजक कर सकता है।
5. चल एवं अचल सम्पत्तियों के विक्रय के दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव में से दो लोगों का हस्ताक्षर एवं फोटो रहना जरूरी है।
6. वर्तमान में ट्रस्ट के पास 11000/- (ग्यारह हजार रु) की पूंजी है।

14. विशेष :-

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव तीनों मिलकर कोई भी निर्णय ले सकते हैं जो कि सर्वमान्य होगा।

Surendra



2064

01-2-10

संख्या 50

मूल्य

2064

Undiscl

उद्घाटन

23 JAN 2010



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 168818

-22-

ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियम अनुमोदित घोषित, स्वीकृत, आत्मसमर्पित एवं तत्काल से कृत्यान्वित की जाती है। उक्त यास विलेख को पढ़कर एवं समक्षकर व्यवहार में जाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

उक्त ट्रस्ट भारतीय अधिनियम के तहत मान्य है।
मसविदासजी - प्रभु नारायण सिंह उद्ग
साक्षीगण

1. नाम - अवध नारायण यादव
S/O श्रीशमराज यादव

पता - साठ-बन्दलपुर
पुल-जमानिया गाँव

2. नाम - श्रीशंकर उद्ग S/O

पता - श्रीशंकर उद्ग
पुल-जमानिया गाँव

दिनांक 1-2-2010 ई

Surendra
ट्रस्टी/अध्यक्ष
रामदूत ट्रस्ट



2065

01-2-10

पृष्ठ 50

पृष्ठ सं.

2044

पृष्ठ सं.

Handwritten signature

उप निबन्धक सदर

गाजीपुर जिला पटवर्ग, गाजीपुर -10



आज दिनांक 01/02/2010 को

वही सं. 4 जिल्द सं. 28

पृष्ठ सं. 192 से 237 पर क्रमांक 4

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.के. सिंह

उप निबन्धक सदर

गाजीपुर

1/2/2010



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



INDIA NON JUDICIAL

551
17-11-2018

UTTAR PRADESH

शपथ-पत्र

42AD 873698

समक्ष : सचिव महोदय,
सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली।

रामदूत इण्टरनेशनल स्कूल मिठनपारा, मिश्रवलिया रौजा, गाजीपुर बजरिए आशीष कुमार प्रधान पुत्र श्री रामअवतार प्रधान निवासी इन्द्रपुरी कालोनी, शास्त्रीनगर, लंका, गाजीपुर निम्नलिखित बयान करते हैं।

1. यह कि शपथकर्ता स्वयं उपरोक्तानुसार रामदूत इण्टरनेशनल स्कूल का प्रधानाध्यापक/विद्यालय प्रबन्ध समिति का सचिव है।
2. यह कि विद्यालय प्रबन्ध समिति में अंकित 13 सदस्यों में किसी भी प्रकार का आपस में कोई रक्त सम्बन्ध नहीं है।
3. यह कि विद्यालय द्वारा कक्षा 11 तथा 12 की कक्षा संचालित नहीं किया जाता है तथा किसी अन्य विद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा फार्म नहीं सम्मिलित करता है।

NOTARY
Ghazipur (U.P.)

Ashish
Principal

Ram Doot International School
Mithanpara, Mishrawaliya, Rauza-Ghazipur

मैं तसदीक करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में लगायत 1 से 3 तक मेरी निजी जानकारी में सही एवं दुरुस्त है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गयी है। इसकी तसदीकी आज दिनांक 17-11-2018 को आहत कचहरी गाजीपुर में की गयी।



हस्ताक्षर Ashish
Principal
Ram Doot International School
Mithanpara, Mishrawaliya, Rauza-Ghazipur

दिनांक 16-4-18 मूल्य 10 कर 1692

स्टाम्प क्रय करने का प्रमाण

क्रय का नाम व पता रामदूत इंटरनेशनल स्कूल राउडा गाजीपुर

है

नोटरी पब्लिक हैदर अली
नं. 20 सहाय 1 मार्च 20
खजूरवाड़ा पुलिस थाना

वरिष्ठ कोषाधिकारी

★★ 10 APR 2018 ★★

गाजीपुर



NOTARY
Ghazipur (U.P.)

रामदूत इंटरनेशनल स्कूल

मिशन पारा

मिशन पारा

मिशन पारा

मिशन पारा

2/4/18

NOTARY

Ashish
Principal

Ram Doot International School
Mithanpara, Mishrawallya, Raouza Ghazipur

Ashish
Ad

17-04-18

दिनांक. 16.4.18 मूल्य 10 कर 1691

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$

결론



NOTARY
Ghazipur (U P)

परिष्ठ कोषाधिकारी

★ ★ 10 APR 2010 ★ ★

गाजीपुर

समस्त २०२२ विद्यार्थी - लक्ष्य

~~10061 9/21~~

मिस्टर विजय

सिद्धा

27

५ अमृतकवच

Surendra.

Manager

Manager
Ram Doot International School
H. Mangara, Mishrawaliya, Bariza-Ghazipur

Abstract **Keywords:** **Abstract**

17.418

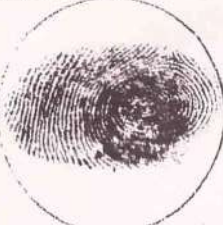
Handwritten signature: Rambhadr
17.04.18

17.04-18

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 32(1) के अन्तर्गत निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह-

नाम निष्पादनकर्ताओं / विक्रेता / क्रेता
वाहिना हाथ

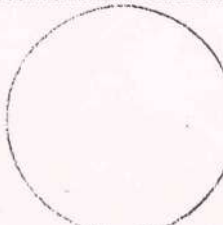
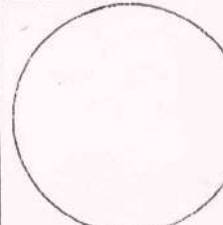
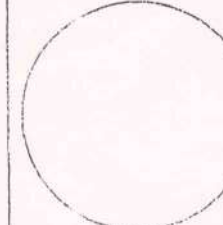
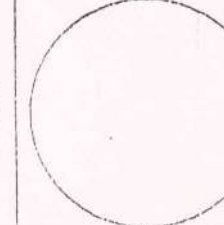
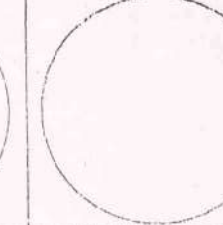
सुरेंद्र सिंह साधु

				
अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

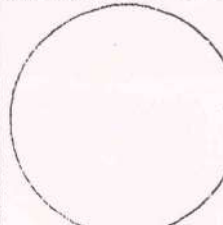
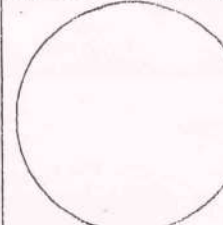
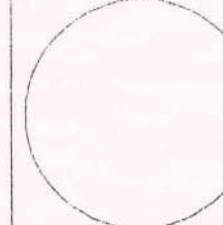
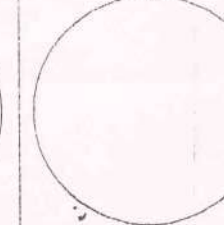
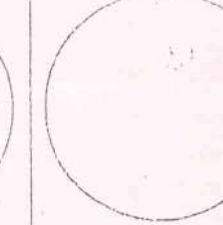
बायें हाथ का -

				
अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका
हस्ताक्षर <i>Surendra</i>				

नाम निष्पादनकर्ताओं / विक्रेता / क्रेता
दाहिना हाथ

				
अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

बायें हाथ का -

				
अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका
हस्ताक्षर <i>Surendra.</i>				